**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**EXECUTION APPLICATION NO. 37 OF 2024**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 162 OF 2024**

**<u>IN THE MATTER OF</u>:**

**MOHIT RAWAL …………APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF U.P. & ORS. ……..RESPONDENT(s)**

**<u>INDEX</u>**



| S.No. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|---|---|---|
| 1. | RESPONSE ON BEHALF OF CHIEF VETERINARY OFFICER, SHAMLI IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 07.02.2025 PASSED BY THE HON’BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL | |
| | ANNEXURES | |
| 2. | COPY OF THE REPORT DT. 06.06.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1 | |

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | **COPY OF THE LETTER OF COMFORT DT. 30.06.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2.** | |
| **4.** | **COPY OF THE CLOSURE ORDER DT. 02.04.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-3.** | |
| **5.** | **COPIES OF THE CLOSURE ORDER DT. 22.10.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-4.** | |

**DATE: 15.05.2025**

**PLACE: SHAMLI**

***THROUGH COUNSEL***

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**EXECUTION APPLICATION NO. 37 OF 2024**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 162 OF 2024**

**IN THE MATTER OF:**

**MOHIT RAWAL** .........**APPLICANT(S)**

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.** ...............**RESPONDENT**

**RESPONSE ON BEHALF OF CHIEF VETERINARY OFFICER, SHAMLI, IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 07.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI**

I, DR. C. B. Kashyap aged about 58 years, presently posted as Chief Veterinary Officer, Shamli, , do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom. NOTARY

## I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That in the present matter, the applicant has raised the grievance against illegal establishment of Layer Poultry Farm by M/s Malik Agro Overseas, Vill. Myan Kasba, Tehsil Unn, Shamli not in compliance with the siting criteria mentioned in the guidelines for establishment of layer poultry farm. NOTARY

4. That the above captioned matter was last listed for hearing on 07.02.2025 wherein the Hon'ble Tribunal directed the Deponent to file their reply/response. NOTARY

5. That pursuant to the aforementioned directions dt. 07.02.2025 issued by the Hon'ble Tribunal, the present affidavit is filed to place on record its response as under. NOTARY

## II. PROPOSAL FOR ESTABLISHMENT FOR POULTRY FARM BY THE PROJECT PROPONENT

NOTARY

6. That in reference to the establishment of the poultry farm by M/S Malik Agro Overseas, it is submitted that the Animal Husbandry Department,

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 GOVT. OF INDIA

U.P., in order to promote industrial investment and employment in the state, organized the "Invest in U.P." event in 2023. That under the Poultry Development Policy 2022, M/S Malik Agro Overseas proposed to establish a poultry farm (layer farm for egg production) in the agricultural area of Shamli district. The proposal was placed before the district-level committee, comprising of **the Poultry Program Officer and the Deponent.**

NOTARY

## III. REPORT OF THE DISTRICT LEVEL COMMITTEE

7. That the District Level Committee found the proposed siting criteria suitable for the establishment of the poultry farm as per as per its report dt. 06.06.2023.

NOTARY

A Copy of the report dt. 06.06.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

NOTARY

8. That in furtherance of the same, the committee forwarded its recommendation to the Director, Animal Husbandry Department, U.P. Government, Lucknow.

NOTARY

## IV. ISSUANCE OF LETTER OF COMFORT

9. That as per the District Level Committee's examination in its report dt. 06.06.2023 and finding the proposal of the Project Proponent, the Director, Animal Husbandry Department, U.P. Government, issued a Letter of

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No. 13333/17 GOVT. OF INDIA

Comfort to M/S Malik Agro Overseas on 30.06.2023, for establishing the poultry farm.

A Copy of the letter of comfort dt. 30.06.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-2.**

10.However, when M/S Malik Agro Overseas started the work for establishing the poultry farm and applied for bank loans, certain local individuals and the applicants started complaining against the establishment of the poultry farm and filed the present original application.

11.That this Hon'ble Tribunal vide order dt. 20.02.2024 disposed of the Original Application in the present matter. That the relevant portion of the order has been reproduced herein for ready reference:

*"....3. The original application was disposed of by directing the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to consider the grievance of the applicant and do the needful.*

*4.Submission of the applicant is that in compliance of the order of the Tribunal, no action has been taken by the UPPCB.*

*5.Mr. Pradeep Misra, Advocate accepts notice on behalf of UPPCB and submits that in pursuance to the order of the Tribunal, UPPCB has already passed the order dated 02.04.2024 under Section 31(A) of Air (Prevention*

NOTARY FARZANA Shahdara R.No. 13333/17 GOVT. OF INDIA

*and Control of Pollution) Act, 1981 prohibiting the project proponent from proceedings further with the project. He is permitted to file the reply in the form of an affidavit disclosing the action taken in pursuance to the order of the Tribunal within six weeks...."*

NOTARY

## V. INSPECTION BY UPPCB ON 20.02.2024

12. That in compliance with the aforementioned Hon'ble Tribunal's order dt. 20.02.2024, the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Muzaffarnagar, along with the laboratory assistant and Junior Research Fellow, conducted an inspection of the proposed poultry farm site on 16.03.2024, along with the complainant.

NOTARY

## VI. ISSUANCE OF CLOSURE ORDER DT. 02.04.2024

13. That based on the inspection report of the Regional Office, Pollution Control Board, the Chief Environment Officer, C-3, U.P. Pollution Control Board, vide its letter dated 02.04.2024 issued a closure order with respect to the Khasra No. 84M and Khata No. 93 and directed it not to carry out any further constructions.

A Copy of the Closure Order dt. 02.04.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

NOTARY

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil Regd-13332117 GOVT. OF INDIA 15.5.25

14.That pursuant to the same the applicant has filed an Execution application in the present matter. That vide the said Execution Application, the applicant has submitted a grievance that while passing the aforementioned closure order dt. 02.04.2024, the UPPCB has not taken in consideration the additional Khasra No.'s i.e. 93, 85, 87 and 89.

NOTARY

VII. <u>INSPECTION BY UPPCB ON 25.09.2024</u>

15.That in reference to the above, the UPPCB, Muzaffarnagar carried out the inspection of the above mentioned Khasras along with the complainant on 25.09.2024. However, during the said inspection, no construction was found carried out on the above mentioned additional Khasra No.'s. However, the proposed additional Khasra no.'s. were found to be in violation of the siting criteria guidelines issued by CPCB for poultry layer farm construction.

NOTARY

VIII. <u>ISSUANCE OF CLOSURE ORDER DT. 22.10.2024</u>

16.That further on recommendation of the Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar, H.O. UPPCB, Lucknow issued the closure order dated 22.10.2024 including the additional Khasra nos. 93, 85, 87, 89 along with the additional Khasra no.s mentioned in the earlier closure order. Further, prohibiting any type of construction of poultry layer farm any piece of Khasra nos.

NOTARY

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No. 13333/17 GOVT. OF INDIA

A Copy of the closure order dt. 22.10.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-4.**

NOTARY

17. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

NOTARY

18. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No. 13333/17 GOVT. OF INDIA

15/5/2025

DEPONENT

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
शामली (उ०प्र०)

RTI/LTI SIGNATURE OF DEPONENT

## VERIFICATION

Verified at Shamli on this 15th day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 18 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY

मैं घोषणा करता हूँ कि शपथ कर्ता को जानता हूँ उसने इस शपथ पत्र पर आज मेरे सामने के सामने अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किया है।

ATTESTED
FARZANA NOTARY
R.No:-13333/17.SHAMLI
15.5.25

**ANNEXURE A-1**

उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 अन्तर्गत स्थापित होने वाली कामर्शियल लेयर एवं ब्रायलर पैरेन्ट की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या का प्रारूप

प्रोजेक्ट का नाम (10000, 30000, 60000 लेयर अथवा 10000 ब्रायलर पैरेन्ट फार्म)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | क्या उद्यमी उत्तर प्रदेश का निवासी है? (हॉं/नहीं) अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें | हाँ |
| 2. | निरीक्षण का दिनांक | 06-06-2023 |
| 3. | फर्म एवं उद्यमी का नाम एवं निवास (मोबाइल एवं ईमेल सहित) | MALIK AGRO OVERSEAS. 3uM शशांक मलिक 8727821446 |
| 4. | प्रस्तावित भूमि का खाता खतौनी क्रम संख्या | 0031, 0093 |
| 5. | प्रस्तावित भूमि की गाटा/खसरा संख्या | 93, 84म |
| 6. | प्रस्तावित भूमि के ग्राम का नाम | काला माजरा |
| 7. | प्रस्तावित भूमि के ब्लाक का नाम | ऊन |
| 8. | प्रस्तवित भूमि के तहसील का नाम | ऊन |
| 9. | प्रस्तावित भूमि पर फर्म/उद्यमी के हिस्से का क्षेत्रफल (एकड़ में) | 4.6 एकड़ |
| 10. | प्रस्तावित स्थल वर्तमान में किस कार्य में उपयोग किया जा रहा है? | कृषि |
| 11. | यदि प्रस्तावित भूमि की खतौनी में कई हिस्सेदार हैं तो तहसील से निर्गत उद्यमी का हिस्सा प्रमाण की प्रति संलग्न करें। | नहीं |
| 12. | राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा ऋण दिये जाने हेतु सहमति पत्र संलग्न है? हॉं/नही | हाँ B.O.B. |
| 13. | क्या प्रस्तावित स्थल की परिधि (बाउण्ड्री) से मानव आबादी की दूरी 500 मीटर से अधिक है? हॉं/नही | हाँ |
| 14. | क्या प्रस्तावित स्थल से नदी, नहर, झील एवं अन्य जल स्रोत की दूरी 100 मीटर से अधिक है? हॉं/नही | हाँ |
| 15. | क्या प्रस्तावित स्थल की पीने के पानी के मुख्य स्रोत जैसे–कुऑं, पानी की टंकी इत्यादि से 100 मीटर से अधिक दूरी है? हॉं/नही | हाँ |
| 16. | क्या प्रस्तावित स्थल की किसी अन्य कुक्कुट प्रक्षेत्र, सूकर फार्म, एवं अन्य पशुधन प्रक्षेत्र से 500 मीटर से अधिक दूरी है? हॉं/नही | हाँ |
| 17. | क्या प्रस्तावित स्थल से राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी 100 मीटर से अधिक है? हॉं/नही | हाँ |
| 18. | क्या प्रस्तावित स्थल से प्रादेशिक राजमार्ग की दूरी 50 मीटर से अधिक है? हॉं/नही | हाँ |
| 19. | क्या प्रस्तावित स्थल की ग्रामीण मार्ग/पगडण्डी से 15 मीटर से अधिक की दूरी है? हॉं/नही | हाँ |
| 20. | प्रस्तावित भूमि बाढ़ग्रस्त/जलप्लावित क्षेत्र में तो नही है? | नहीं |
| 21. | क्या प्रस्तावित स्थल से 500 मीटर की परिधि में कोई स्कूल/कालेज/शिक्षण संस्थान/धार्मिक स्थल तो नही है (हॉं/नही) | नहीं |
| 22. | क्या प्रस्तावित स्थल कुक्कुट फार्म की स्थापना हेतु उपयुक्त है? हॉं/नही | हाँ |
| 23. | प्रस्तावित भूमि का अक्षांश एवं देशांतर (Latitude and Longitude) | 29°35'01"N, 77°08'01"E |
| 24. | क्या फर्म/उद्यमी को उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 अन्तर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया है? यदि हॉं तो उसका विवरण निम्नवत अंकित करें:–<br>अ–लेटर ऑफ कम्फर्ट संख्या एवं दिनांक<br>ब–इकाई का प्रकार (30000 का0ले0/10000 का0ले0/10000 ब्रा0पै0)<br>स–लेटर ऑफ कम्फर्ट के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों की संख्या<br>द–निर्गत समस्त एल0ओ0सी0 की छायाप्रति संलग्न करें। | 424/1086, 05-01-22 (SHASHAANK MALIK)<br>10,000 X 2 Unit = 20,000<br>20,000 birds Unit |
| 25. | अन्य सम्बन्धित विवरण यदि कोई उल्लेखनीय हो तो | |

(हस्ताक्षर) 6/6/23

पोल्ट्री प्रोग्राम आफिसर/
नोडल अधिकारी (पोल्ट्री)
जनपद ....शामली....

(हस्ताक्षर) 06/06/2023

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
शामली (उ0प्र0)



BHANWAR JADON

**DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, UTTAR PRADESH, LUCKNOW**
**Uttar Pradesh Poultry Development Policy-2022**

**Ref. No.** UPSWP230895887_UPSWP23089588701/UPPDP-2022/ **Date : 30/06/2023**

**LETTER OF COMFORT**

**Name of Applicant/Enterprenuar :Malik Agro Overseas**
**Emailid of Applicant :shashaankmalik504@gmail.com**
**Address :Miyan Kasba, Miyan Kasba, Un, Shamli**
**Dear Sir/Madam,**

This is to inform you that based on CVO/CDO, District : Shamli recommendation ref. No. 356 Dt 8-6-2023 to establish one unit (60000 Birds) of Commercial Layer Farm at Gram -kala majra Block -unn Tahsil -unn District - Shamli (U.P.).
**Uttar Pradesh Govt. has accepted your proposal** after visit of the site by PPO and CVO Shamli, and provisions made by you at farm site found suitable under U.P Poultry Development Policy-2022. **This Letter of Comfort is being issued subject to the compliance of the Gazette Notification of Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairing, Govt. India, New Delhi No CG-DL-E-1032023-243969 dated 27 February 2023**

**Letter of Comfort is valid for one year from the date of issue for bank loan bank loan and activation of the unit.**

**Instructions**

1. Please ensure to follow the guidelines of CPCB for establishment of poultry farm.
2. The unit shall ensure the required land and other provisions.
3. Please ensure to follow Biosecurity measures and any suggestion/direction announced by UP Govt./GO1 time to time.
4. Kindly make provision of disposal of dead birds in disposal pits.

With warm regards and best wishes.

**(Dr. Indramani)**
**Director,**
**Administration & Development**

Copy to the following for kind information and necessary action:-

1. Senior Manager, concerning financing bank
2. Chief Veterinary Officer. to ensure required land, compliance of Biosecurity & CPCB guidelines for establishment of poultry unit

**(Dr. Indramani)**
**Director,**
**Administration & Development**

**Note: Issued under U.P. Govt, GO, No. 2254/-2-2022-1(45)/2012 0 0-()00-1659381 dated 7th November 2012**

Administration & Development Directorate of Animal Husbandry Gokarannath Road, Badshah Bagh, Lucknow 276007
Toll Free No 1800 180 5141 Phone No.0522-2740482, 2740238, 2741991 2741992. Fax-0522-2740202, 2740832
Email-uppoultrypolicy2013@yahoo.com website-http://animalhusb.upsdc.gov.in

ANNEXURE A-3

07.4.24

# प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

**RADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

संदर्भ संख्या H08971 / सी–3 / वायु 609 सहा० / 2024 दिनांक 02 / 4 / 2024

सेवा में,

**पंजीकृत**

मै0 मलिक एग्रो ओवरसीज केरटू
ग्राम म्यान कस्बा, तहसील–ऊन, जिला शामली।
द्वारा संस्थापक श्री शशांक मलिक पुत्र श्री सुभाष मलिक,
निवासी 26 साउथ सिटी, दिल्ली रोड,सहारनपुर,
तहसील व जिला सहारनपुर,

विषयः–वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. सं0–162 / 2024 मोहित रावल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 के के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

1- "In this original application, the Applicant has raised the grievance against establishment of layer poultry farm by Respondent No. 15, in the name of Malik Agro Overseas, in the close proximity of residential areas of Kalamajra and Miyàn Kasba Villages, District Shamli, Uttar Pradesh.
2- The Applicant has alleged that the said project proponent had illegally availed approval and there is a lack of prior Environmental Clearance (EC) and violation of conditions stipulated by Respondent No. 14 in the process of establishment of layer poultry farm.
3- The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms. Having regard to the nature of grievance raised in the OA, we are of the opinion that the issue needs to be first looked into by the Member Secretary, State Pollution Control Board who will ascertain the correct factual position after obtaining the status from the spot and also the status of various environmental clearances which are 2 required by the project proponent and, if any, violation is found will take appropriate action in accordance with law.
4- Hence, we dispose of the OA directing the Member Secretary, SPCB to do the needful in terms of the above in accordance with law expeditious----"

उपरोक्त के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियो द्वारा संदर्भित प्रस्तावित उद्योग स्थल का निरीक्षण दिनांक–16.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि प्रश्नगत पॉल्ट्री फार्म की स्थापना के सम्बन्ध में कोई भी निर्माण कार्य होता हुआ नही पाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा हस्तगत कराये गये संदर्भित स्थल की रजिस्ट्री / दस्तावेज के अनुसार जनपद शामली के तहसील ऊन, परगना बिडौली, ग्राम कालामजरा के खाता सं0–93, खसरा सं0–84म रकबई 0.9320 हे0 व खसरा 84म रकबई 0.6290 हे0 कुल रकबा 1.5610 हे0 में से 0.2050 हे0 मै0 मलिक एग्रो ओवरसीज केरटू द्वारा संस्थापक श्री शशांक मलिक पुत्र श्री सुभाष मलिक निवासी 26 साउथ सिटी, दिल्ली रोड,सहारनपुर तहसील व जिला सहारनपुर द्वारा भूमि को उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति 2022 योजना के अन्तर्गत एक कॉर्मिशयल लेयर फार्म की स्थापना के लिए क्रय किया गया है, जिसकी पुष्टि मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के पत्र दिनांक 13.06.2023, जोकि रजिस्ट्रार तहसील ऊन जनपद शामली को संबोधित है, मे उल्लेख किया गया है कि "उ.प्र. कुक्कुट विकास नीति–2022 के अन्तर्गत श्री शशांक मलिकपुत्र श्री सुभाष मलिक, निवासी 26 साऊथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर द्वारा मलिक एग्रो ऑवरसीज के नाम से ग्राम–म्यान कस्बा, पोव–बिडौली, ऊन शामली में 60000 पक्षियों की 01 कामर्शियल लेयर इकाई स्थापित करने हेतु एम.ओ.यू. नं. 23/AH/0000014447 पर हस्ताक्षर किये है," से भी होती है। बोर्ड द्वारा उक्त स्थल पर पॉल्ट्री फार्म निर्माण के सम्बन्ध में स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नही है। निरीक्षण के समय पाया गया कि प्रश्नगत स्थल से ग्राम काला माजरा की आबादी लगभग 300 मीटर तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय की दूरी लगभग 200 मीटर उत्तर दिशा में एवं ग्राम म्यान कस्बा की आबादी लगभग 300 मीटर

पश्चिम–दक्षिण दिशा में स्थित है। स्थल पॉल्ट्री फार्म स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाइन जनवरी 2022 में बिन्दु सं0–7 पर उल्लिखित साइटिंग क्राईटेरिया के अनुरूप नहीं है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 19.03.2024 के आधार पर साइटिंग क्राइटेरियाँ के विपरीत स्थल पर स्थापित हो रहे पोल्ट्री फार्म को जनहित एवं जनस्वास्थ्य को बनाये रखने के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके प्रस्तावित उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते है–

1. जनपद शामली के तहसील ऊन, परगना बिडौली, ग्राम कालामजरा के खाता सं0–93, खसरा सं0–84म रकबई 0.9320 हे0 व खसरा सं0 84म रकबई 0.6290 हे0 कुल रकबा 1.5610 हे0 में से 0.2050 हे0 भूमि पर प्रस्तावित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म का किसी प्रकार का निर्माण कार्य कदापि न किया जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसो के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन न होने की दशा में आपके प्रस्तावित उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

Atulesh yadav.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

ANNEXURE A-4

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H 18949 /सी–3/ वायु 609 / सहा0/24 दिनांक: 22/10/2024

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 मलिक एग्रो ओवरसीज,
ग्राम–म्यान कस्बा, तहसील–ऊन, जिला–शामली,
द्वारा संस्थापक श्री शशांक मलिक पुत्र श्री सुभाष मलिक,
निवासी 26, साउथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर। 9837202991

विषय– वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 08871 / सी–3 / वायु–609 / सहा0 / 24 दिनांक 02.04.2024 दिनांक 02.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आपको वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये हैं। जोकि वर्तमान में प्रभावी है।

"जनपद–शामली के तहसील ऊन परगना बिडौली, ग्राम–काला माजरा के खाता सं0–93, खसरा सं0 84म रकबई 0.9320 हे0 व खसरा सं0 84म रकबई 0.6290 हे0 कुल रकबा 1.5610 हे0 में से 0.2050 हे0 भूमि पर प्रस्तावित पोल्ट्री फार्म / लेयर फार्म का किसी प्रकार का निर्माण कार्य कदापि न किया जाए।"

क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनसुनवाई संदर्भ सं0 60000240181068 एवं आईएमएस पोर्टल संदर्भ सं0 334417687 के माध्यम से प्राप्त शिकायत मे सूचित किया गया है कि मै0 मलिक एग्रो ओवरसीज केरट्, ग्राम–म्यान कस्बा, तहसील–ऊन, जिला–शामली को बोर्ड द्वारा जारी निर्देश पत्र दिनांक 02.04.2024 में उल्लेखित खसरा संख्याओं के अतिरिक्त अन्य खसरा सं0 93, 85, 87, 89 पर सी0बी0सी0बी0 की गाईडलाइन के विपरित पॉल्ट्री फार्म / लेयर फार्म के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिसका संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ स्थल का निरीक्षण दिनांक 25.09.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर पॉल्ट्री फार्म / लेयर फार्म का निर्माण कार्य होते हुए नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दिखाये गये खसरा नं0 84 की गूगल मैप के अनुसार ग्राम–काला माजरा की आबादी से लगभग 300 मी0 स्कूल से 200 मी0 एवं म्यान कस्बा की आबादी से दूरी 300 मी0 खसरा नं0 85 की ग्राम–काला माजरा की आबादी से लगभग दूरी 300मी0, स्कूल से 252 मी0 एवं म्यान कस्बा की आबादी से दूरी 440 मी0, खसरा नं0 87 की ग्राम–काला माजरा की आबादी से लगभग दूरी 340 मी0, स्कूल से 330 मी0 एवं म्यान कस्बा की आबादी से दूरी 450 मी0, खसरा नं0 89 की ग्राम–काला माजरा की आबादी से लगभग दूरी 340 मी0, स्कूल से 490 मी0, खसरा नं0 93 की ग्राम–काला माजरा की आबादी से लगभग दूरी 370 मी0, स्कूल से 360 मी0 एवं म्यान कस्बा की आबादी से दूरी 490 मी0 है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती स्थल की रजिस्ट्री / दस्तावेज हस्तगत कराये गये, जिसके अनुसार खाता सं0–31 खसरा नं0 93, रकबा 0.5200 है0 मै0 मलिक एग्रो ओवरसीज केयर टू द्वारा संस्थापक श्री शशांक मलिक पुत्र श्री सुभाष मलिक, निवासी 26, साउथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर द्वारा भूमि को उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति 2022 योजना के अन्तगर्त एक कामर्शियल लेयर फार्म की स्थापना के लिए क्रय किया गया है तथा प्रस्तुत बैनाम में यह भी वर्णित किया गया है कि खसरा नं0 84 की भूमि को पूर्व में क्रय कर लिया गया है और आज खसरा नं0 93 की भूमि को बैनामा हाजा द्वारा क्रय किया जा रहा है और भूमि खसरा नं0 84 व 93 के बीच शेष भूमि खसरा नं0 85, 87 व 89 की भूमि का फरीक दोयम द्वारा भविष्य में क्रय किया जाकर सभी खसरों की भूमि में एक कार्मिशियल लेयर फार्म भूमि की स्थापना की जायेगी। उक्त स्थल पॉल्ट्री फार्म स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन जनवरी 2022 में बिन्दु सं0–7 पर उल्लेखित साइटिंग काईटेरिया के अनुरूप नहीं है व उक्त स्थल पर पॉल्ट्री फार्म निर्माण की स्थापना हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा बोर्ड के निर्देश पत्र दिनांक 02.04.2024 में उल्लेखित खसरा सख्याओं के अतिरिक्त खाता सं0 31 खसरा सं0 93 तथा खसरा सं0 85, 87 एंव 89 पर भी प्रस्तावित पॉल्ट्री फार्म / लेयर फार्म का किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किये जाने हेतु बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 07.10.2024 के आधार पर साइटिंग काइटेरियॉ के विपरीत खाता सं0 31 खसरा सं0 93 तथा खसरा सं0 85, 87 एंव 89 पर प्रस्तावित पॉल्ट्री फार्म / लेयर फार्म के निर्माण को जनहित एव जनस्वास्थ्य को बनाये रखने के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके प्रस्तावित उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैः–

(2)

1 बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 08871 / सी–3 / वायु–609 / सहा0 / 24 दिनांक 02.04.2024 जिसके माध्यम से आपको वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत जनपद–शामली के तहसील ऊन परगना विडौली, ग्राम–काला माजरा के खाता सं0–93, खसरा सं0 84म रकवई 0.9320 हे0 व खसरा सं0 84म रकबई 0.6290 हे0 कुल रकबा 1.5610 हे0 में से 0.2050 हे0 भूमि पर प्रस्तावित पोल्ट्री फार्म / लेयर फार्म का किसी प्रकार का निर्माण कार्य कदापि न किया जाए का निर्देश जारी किये गये है, प्रभावी रहेगा, उक्त के अतिरिक्त खाता स0 31 खसरा सं0 93 तथा खसरा सं0 85, 87 एंव 89 पर भी प्रस्तातित पॉल्ट्री फार्म / लेयर फार्म हेतु किसी प्रकार का निर्माण कार्य कदापि न किया जाए का भी निर्देश तत्काल प्रभावी से जारी किये जाते है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में आपके प्रस्तावित उद्योग के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा।

Atulesh yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, शामली।
2 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली।
3 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग को जारी निर्देश का समयबद्व रूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3